

27.6.18 फरमाती साय कंपनी कोर्ट लहाल में पेश हुई। उनसे के
कंधित बाद फग का निस्तारण से न्युना है तथा T
कमिशन से सुनी है इसलिए प्रस्तुत बाद फग खाई
खाई का कोई सांचित्य नहीं रह गया है। बाद फग
इसी वर पर खारिज किया जाता है। फरमाती के साथ
शुमार होकर नगर के काम हो तथा सारिम फगर है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुर (पा.)